तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-1-19	पत्रावली पेश हुई। वकील ~~उभयपक्ष~~ उभयपक्ष उप० है। वादीगण का वाद राजीनामे के अनुसार डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि नवीन ख० नं० 659 रकबा 82 एयर, ख० नं० 661 रकबा 88 एयर, ख० नं० 663 रकबा 2.00 है० कुल रकबा 3.70 है० ग्राम छावनी में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वर्तमान अभिलेख में प्रतिवादी सं० 1 लगायत 5 का 2/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 6 लगायत 10 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादीगण 11 एवं 12 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 13 व 14 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57/2017	11.9.2017	15.10.2019

1. बुधराम पुत्र विशन्या, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा (मृतक)
1/1. घूडया पुत्र बुधराम, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
1/2 मोहरबाई पुत्री बुधराम,बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा

——वादीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
2. शांति पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
3. प्यारी पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
4. बसन्ती पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
5. केशन्ती पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
6. लक्ष्मीचंद पुत्र गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
7. मस्तलाल पुत्र गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
8. धनराज पुत्र गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
9. सुनीता पुत्री गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
10. संतो बेबा गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
11. जगन पुत्र मोसरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
12. सोनबाई बेबा मोसरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
13. तेजा पुत्र भूरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
14. छोटे पुत्र भूरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
15. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार उपपंजीयकगंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्तीएवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा , एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री लालाराम सैनी,एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि साबिक ख0न0 337 रकबा 15 बीघा ग्राम छाबा वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के बाबा विशन्या की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिसने विशन्या का 1/2 हिस्सा रहा है। भू प्रबन्ध ने इसके नवीन नम्बर 659 रकबा 82 एयर, ख0न0 661 रकबा 88 एयर, ख0न0 663 रकबा 2.00 है0 कुल रकबा 3.70 है0 कायम किये गये है। वादी के पिता विशन्या का करीब 40 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादी विशन्या के वारिस है। उसकी मृत्यु के वादी व प्रतिवादी उसकी भूमिपर समान रूप से काबिज काश्त है। भूमि पैतृक है। जिसमे वादी 1/4 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10, 1/4 हिस्से के हकदार है। इसी अनुसार भूमि पर काश्त कर इसका

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। दिनांक 9.8.17 को जब वादी अपने 1/4 हिस्से की भूमि की सार संभाल कर रहा था तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 आये और वादी को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप भूमि को खाली करो, इस भूमि को हम ही काश्त करेगें। इस पर वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के बाबा कल्याण ने कर्मचारियो से साज कर वादी के हिस्से की भूमि को स्वयं के नाम अंकित करवा लिया है जबकि ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नही था। अब गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 वादी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाकर भूमि साबिक ख0न0 337 रकबा 15 बीघा से भूप्रबन्ध मे बने नवीन नम्बर 659 रकबा 82 एयर, ख0न0 661 रकबा 88 एयर, ख0न0 663 रकबा 2.00 है0 कुल रकबा 3.70 है0 ग्राम छाबा मे वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड मे दुरूस्ती फरमायी जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जावे कि वे वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे वादी को बाधा उत्पन्न ना तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावे।

वादपत्र के साथ वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2025–2028, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 प्रस्तुत किये है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी रामदेव, भरतलाल, छोटेलाल, धनराज, लक्ष्मीचंद, सतीदेवी ने दिनांक 12.6.19 को हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। इसी प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी शांती, रामप्यारी ने अदालत मे उपस्थित होकर दिनांक 15.7.19 को राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली मे शामिल किया गया। इन राजीनामो मे प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि मे वादीगण को 1/4 हिस्से की भूमि देने हेतु सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण मे बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। वादी के वकील ने अपनी बहस मे कहा कि विशन्या के दो पुत्र बुधराम व कल्याण रहे है। विशन्या के बाद उसकी जमीन मात्र कल्याण के नाम लगा दी गई जबकि बुधराम का भी इसमे कल्याण के बराबर का हिस्सा रहा है। इसी अनुसार मौके पर वादीगण सम्पूर्ण भूमि के 1/4 हिस्से पर काबिज है। इस सम्बन्ध मे कल्याण के वारिसो ने अपने राजीनामे मे वादीगण को 1/4 हिस्से की भूमि देने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण के वकील ने राजीनामे के अनुसार पत्रावली का निर्णय किये जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2025–28 के अनुसार भूमि साबिक ख0न0 337 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा ग्राम छाबा भूरया पुत्र गोविन्दा व कल्याण पुत्र विशन्या की खातेदारी मे दर्ज है। इसके अनुसार इस भूमि मे कल्याण का

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. कुन्दन पुत्र विशन्या, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा (मृतक)
1/1. घूडया पुत्र बुधराम, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
1/2 मोहरबाई पुत्री बुधराम,बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा

——वादीगण

बनाम

1. रामदेव पुत्र कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
2. शांति पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
3. प्यारी पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
4. कान्ती पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
5. केसन्ती पुत्री कल्याण, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
6. लक्ष्मीचंद पुत्र गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
7. मदनलाल पुत्र गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
8. धनराज पुत्र गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
9. सुनीता पुत्री गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
10. संतो बेबा गोरधन, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
11. जगन पुत्र मोसरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
12. सोनबाई बेबा मोसरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
13. तेजा पुत्र भूरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
14. छोटे पुत्र भूरया, बैरवा निवासी बाढ सलेमपुर तह0 सपोटरा
15. लैन्ड होल्डर जरिए तहसीलदार उपपंजीयकगंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्तीएवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –57/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री लालाराम सैनी, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि नवीन नम्बर 659 रकबा 82 एयर, ख0न0 661 रकबा 88 एयर, ख0न0 663 रकबा 2.00 है0 कुल रकबा 3.70 है0 ग्राम छाबा मे वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार वर्तमान अभिलेख मे

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स.मा.)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

1/2 हिस्सा दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इस भूमि के नवीन नम्बर 659 रकबा 82 एयर, ख0न0 661 रकबा 88 एयर, ख0न0 663 रकबा 2.00 है0 कुल रकबा 3.70 है0 बनाये गये है। नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के अनुसार इन नम्बरो मे जगन सोनवाई प्रतिवादी 11 व 12 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी न0 1, 2, 3, 4, 5 का 5/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 का 1/12 हिस्सा दर्ज है। साबिक अभिलेख के अनुसार प्रतिवादी संख्या 11, 12, 13, 14 का वादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्सा है जिसके अनुसार 3.70 है0 भूमि मे से 1.85 है0 भूमि पर उनकी खातेदारी दर्ज है। शेष 1.85 है0 भूमि मे राजीनामे अनुसार वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि अर्थात् सम्पूर्ण भूमि मे 1/4 हिस्से की भूमि दी जानी है तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 के हिस्से मे सम्पूर्ण भूमि का 2/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 का 1/12 हिस्सा एवं वादीगण का 1/4 हिस्सा बनता है। फलस्वरूप इसी अनुसार वादीगण का दावा डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद वरूए राजीनामा डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि नवीन नम्बर 659 रकबा 82 एयर, ख0न0 661 रकबा 88 एयर, ख0न0 663 रकबा 2.00 है0 कुल रकबा 3.70 है0 ग्राम छाबा मे वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार वर्तमान अभिलेख मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 2/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 एवं 12 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल बाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं सहायक कलेक्टर, गंगापुर सिटी (स.मा.)

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 2/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 एवं 12 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 13 व 14 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.10.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.04 11:54:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: